माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID - dr@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1420/SU/ एम0एस0यू0 / 2022–23 दिनांक 16-10-2023

सेवा में, **ई–मेल द्वारा**

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय, सहारनपुर
सहारनपुर मण्डल।

विषयः– मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहान योजना (उच्च–शिक्षा) (सीएम–एपीएस एच0ई0) Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme Higher Education के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, माधवपुरम, मेरठ के संलग्न पत्र सं0 / क्षे0का0मे0 / 2603–07 / 2023–24 दिनांक 13.09.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शासन के पत्र सं0 1620 / सत्तर–4–2023–231–2023 उच्च शिक्षा अनुभाग –4 लखनऊ, दिनांक 01.09.2023 के निर्देशानुसार एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये अभ्यर्थियों की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग की सूचना प्रतिमाह जनपद में नामित नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप से अपेक्षा की जाती हैं। कि आप उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर व कुलसचिव कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जा सके।

संलग्नः– यथोपरि

16-10-23
उपकुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. समस्त जिलाधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।
02. शिक्षा निदेशक, उ0शि0 प्रयागराज, उ0प्र0।
03. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय मेरठ, सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करते हुये वांछित सूचना सम्बधित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
04. समस्त नामित नोडल अधिकारी, सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि जनपद स्थित महाविद्यालयों को अपने स्तर से भी निर्देशित करते हुये वांछित सूचना प्राप्त कर प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगें।

उपकुलसचिव

कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,माधवपुरम, मेरठ।
परिक्षेत्र–मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।
दूरभाष / फैक्स 0121–2400444 ई–मेलrheomeerut@yahoo.com वैबसाईटwww.rheomrt.org

पत्रांक / क्षे0का0मे0 / 2603-07 / 2023–24 / दिनांक : 12 / 09 / 2023

ई–मेल

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय,
मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।

विषयः मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) (सीएम–एपीएस एच0ई0) **Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme Higher Education** के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1620 / सत्तर–4–2023–231 / 2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ, दिनाक 01.09.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये अभ्यर्थियों की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग की सूचना प्रतिमाह जनपद में नामित नोडल अधिकारी (सूची संलग्न) को निम्न प्रारूप पर प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जा सके।

कम संख्या	जनपद का नाम	महाविद्यालय का नाम	एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण है अथवा नहीं	अप्रेन्टिसशिप कराये गये अभ्यर्थीयों की संख्या

भवदीय

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

प0स0 – क्षे0का0मे0 / / 2023–24 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।
2. शिक्षा निदेशक, उ0शि0 प्रयागराज, उ0प्र0।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करते हुये वांछित सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त नामित नोडल अधिकारी, उ0शि0 मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि जनपद स्थित महाविद्यालयों को अपने स्तर से भी निर्देशित करते हुये वांछित सूचना प्राप्त कर प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,माधवपुरम, मेरठ।

परिक्षेत्र–मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।

दूरभाष / फैक्स 0121–2400444 ई–मेलrheomeerut@yahoo.com वैबसाईटwww.rheomrt.org

पत्रांक / क्षे0का0मे0 / /2023–24 / दिनांक : 13 / 09 / 2023

ई–मेल

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय,
मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।

विषयः मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) (सीएम–एपीएस एच0ई0) **Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme Higher Education** के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1620 / सत्तर–4–2023–231 / 2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ, दिनांक 01.09.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये अभ्यर्थियों की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग की सूचना प्रतिमाह जनपद में नामित नोडल अधिकारी (सूची संलग्न) को निम्न प्रारूप पर प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जा सके।

कम संख्या	जनपद का नाम	महाविद्यालय का नाम	एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण है अथवा नहीं	अप्रेन्टिसशिप कराये गये अभ्यर्थीयों की संख्या

भवदीय,

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

प0स0 – क्षे0का0मे0 / 2603-07 / 2023–24 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।
2. शिक्षा निदेशक, उ0शि0 प्रयागराज, उ0प्र0।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करते हुये वांछित सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त नामित नोडल अधिकारी, उ0शि0 मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि जनपद स्थित महाविद्यालयों को अपने स्तर से भी निर्देशित करते हुये वांछित सूचना प्राप्त कर प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

2521 12/9/23

संख्या-1620/सत्तर-4-2023-231/2023

2894/ST

प्रेषक,

एम0 पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2023

विषय- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) [सीएम-एपीएस (एच0ई0)] Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme (Higher Education)] के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1613/सत्तर-4-2023-231/2023, दिनाक 01.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 01.09.2023 के बिंदु 2 (xvii) में यह दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) की प्रगति की समीक्षा जनपद में प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में की जाएगी तथा जनपद के ऐसे संस्थान, जो एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा रहे हैं अथवा पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थियों की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग नहीं करा रहे है, की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे कि नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) CMAPS (HE) की समीक्षा हेतु अपने स्तर से सभी संबंधित विभागो व प्रकोष्ठो को दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही प्रतिमाह प्रगति की अद्यतन आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: सुलभ संदर्भ हेतु।

भवदीय,

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1613/सत्तर-4-2023-231/2023

प्रेषक,

एम0 पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उ0क्षे0) कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2023

विषय- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) [सीएम-एपीएस(एच0ई0)] [Chief Minister's Apprenticeship Promotion Scheme (Higher Education)] के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) वर्ष 1973 से अभियांत्रिकी/तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा एवं स्नातक पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों हेतु लागू थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से इसके क्षेत्र में वृद्धि करने पर विचार करते हुये अन्य विधाओं के स्नातकों को इससे लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) का परिचालन भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के द्वारा आन-लाईन पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) के माध्यम से किया जा रहा है।

NATS के अंतर्गत डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ निश्चित अवधि का रोजगार भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के प्रति उद्योगों और अधिष्ठानों का रुझान भी बढ़ा है। शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन संचालित NATS का लाभ अधिकाधिक युवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा)[CM-APS(HE)] को प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों/अधिष्ठानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के माध्यम से लाभान्वित करते हुए, बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना एवं NATS को लागू करने वाले प्रत्येक उद्योग/अधिष्ठान द्वारा सम्बद्ध किए जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक वृत्तिका धनराशि में भारत सरकार के द्वारा दी जा रही प्रतिपूर्ति धनराशि के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1000/- प्रति माह की अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति (टॉप-अप) की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष

2023-24 में 83,000 युवाओं को नियोजित करने का लक्ष्य रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग के बजट में 100.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

2. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का संचालन निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन किया जाएगा:

(i) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) [CM-APS(HE)] ऐसे समस्त निजी उद्योगों एवं अधिष्ठानों में स्वतः लागू होगी, जो एन०ए०टी०एस० (NATS) के माध्यम से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं या भविष्य में देंगे।

(ii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का क्रियान्वयन एन०ए०टी०एस० के संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपादित किए गए नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

(iii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) से प्रदेश के अभियांत्रिकी/तकनीकी के क्षेत्र में डिप्लोमा एवं सभी विधाओं में स्नातक युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत जहां एक ओर व्यवहारिक प्रशिक्षण (on-the-job training) का अवसर मिलेगा वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों/अधिष्ठानों को कुशल/दक्ष कार्मिक मिलेंगे। निर्धारित अवधि का शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(iv) राजकीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों को इस योजनांतर्गत प्रस्तावित प्रतिमाह ₹1000/- की अतिरिक्त वितीय सहायता नहीं दी जाएगी। यद्यपि राजकीय प्रतिष्ठानों/संस्थानों में एन०ए०टी०एस० के माध्यम से युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने पर दी जाने वाली वृत्तिका राशि के 50% की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा तथा 50% की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु बजटीय प्राविधान 42-अन्य व्यय मद में कराया जायेगा, साथ ही केंद्र सरकार के 50% वृतिका राशि की प्रतिपूर्ति हेतु बैंक खाता अथवा उपयुक्त प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए केंद्र सरकार के वृतिका की प्रतिपूर्ति हेतु गाइड लाइन जारी की जाएगी।

(v) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ स्थापित की जाएगी, जिसमें विभागीय कर्मचारी सम्मिलित होंगे। प्रकोष्ठ निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के दिशा निर्देशन एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करेगी।

(vi) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) को लोकप्रिय बनाने एवं अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षण के साथ सम्बद्ध करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों (RHEO) व शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उतरी क्षेत्र), कानपुर के साथ मिलकर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

(vii) केंद्र सरकार द्वारा संचालित एन0ए0टी0एस0 में पंजीकृत प्रत्येक प्रशिक्षु जिसके प्रशिक्षण हेतु उद्योगों एवं अधिष्ठानों द्वारा उसे नियमानुसार प्रदान की जाने वाली मासिक वृत्तिका व केंद्र सरकार द्वारा की जा रही प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹1000/- की धनराशि की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति (अधिकतम 01 वर्ष के लिए) की जाएगी। अतः मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के अंतर्गत वही प्रशिक्षु लाभ प्राप्त करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एन0ए0टी0एस0 में पंजीकृत है।

(viii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) योजना को लागू करने हेतु राज्य सरकार के अधीन निम्न विभाग उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों/प्रतिष्ठानों में एन0ए0टी0एस0 का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार कल्याण विभाग
3. पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग
4. माध्यमिक शिक्षा विभाग
5. उच्च शिक्षा विभाग
6. प्राविधिक शिक्षा विभाग
7. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
8. आवास और शहरी नियोजन विभाग
9. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
10. सहकारिता
11. राज्य निर्माण श्रम एवं सहकारी विकास संघ
12. राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
13. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
14. पर्यटन विभाग
15. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
16. उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
17. कृषि विभाग
18. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड
19. लोक निर्माण विभाग
20. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
21. लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग

(ix) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) योजना लागू करने हेतु राज्य सरकार के सभी प्रशासकीय विभाग जिनमें नियमित व संविदा कर्मियों को सम्मिलित करते हुए यदि कार्मिकों की संख्या 30 से अधिक है एवं अपने अधीनस्थ राजकीय एवं राजकीय

सहायता प्राप्त संस्थानों/विभागों में शिक्षुता अधिनियम, 1961 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(x) उपरोक्त बिंदुओं (xiii) व (ix) के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के प्रत्येक प्रशासकीय विभाग में राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे जो उच्च शिक्षा विभाग एवं शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उ0क्षे0), कानपुर से समन्वय करते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग, नोडल विभाग होगा।

(xi) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) लागू करने हेतु अनुश्रवण के लिये जिला स्तर, मंडल स्तर एवं राज्य स्तर पर निम्नवत अनुश्रवण समितियां गठित की जायेंगी:

राज्य स्तरीय समिति:-

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर	सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	सदस्य
नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य सचिव

मंडल स्तरीय समिति:-

मंडलायुक्त	अध्यक्ष
समस्त जिलाधिकारी	सदस्य
निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उ.क्षे.), कानपुर द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक 03 माह एवं मंडल स्तरीय समिति द्वारा प्रतिमाह इस योजना का अनुश्रवण किया जायेगा।

(xii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) [CM-APS(HE)] के अनुश्रवण के लिए एन0ए0टी0एस0 पोर्टल पर शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर द्वारा एक डैशबोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा और उसका राज्य सरकार के दर्पण (DARPAN) पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाएगा। एन०ए०टी०एस० पोर्टल पर राज्य सरकार के डैशबोर्ड में राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थान/प्रतिष्ठान को दी जाने वाली अतिरिक्त वृतिका राशि के प्रतिपूर्ति की सुविधा, भुगतान गेटवे के माध्यम से होगी। इस डैशबोर्ड को विकसित किये जाने में होने वाले व्यय भार का वहन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(xiii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) में एन०ए०टी०एस० द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया निम्नवत रहेगी:

1. एन०ए०टी०एस० पोर्टल पर अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने एवं किसी भी पंजीकृत संस्थान/प्रतिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
2. संस्थान/प्रतिष्ठान अपने एन०ए०टी०एस० प्रोफाइल से उन सभी अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड कर उनका चयन प्रशिक्षण हेतु कर करता है।
3. ज्वाइनिंग के बाद नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षु का अप्रेंटिसशिप पंजीकरण (कॉन्ट्रैक्ट) अनुमोदन हेतु एन०ए०टी०एस० पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
4. प्रशिक्षण शुरू होने के बाद प्रशिक्षु को मासिक वृतिका राशि का भुगतान अगले माह की 10 तारीख के पहले नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षु के बैंक खाते में किया जाएगा।
5. नियोक्ता द्वारा प्रत्येक 3 माह के बाद प्रशिक्षु की परफारमेंस रिपोर्ट ऑनलाइन एन०ए०टी०एस० पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन हेतु जमा की जाएगी ।
6. त्रैमासिक परफार्मेंस रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात, नियोक्ता केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 50% वृतिका राशि के भुगतान हेतु ऑनलाइन जमा करता है। शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर द्वारा नियोक्ता से प्राप्त वृतिका पुनर्भरण फॉर्म (stipend claim form) की जाच कर केंद्र सरकार की राशि का भुगतान नियोक्ता के बैंक खाते में किया जाता है।
7. केंद्र सरकार के हिस्से की वृतिका के पुनर्भरण के बाद नियोक्ता को मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का भुगतान, उच्च शिक्षा विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जायेगा।

(xiv) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उ.क्षे.), कानपुर द्वारा अभ्यर्थियों की सहायता हेतु कानपुर/लखनऊ में एक कॉल-सेंटर स्थापित किया जायेगा।

(xv) समस्त विभागों द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvi) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के लिये प्राविधानित धनराशि स्वीकृत कराकर निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के निर्वतन पर रखी जायेगी उनके द्वारा निर्गत धनराशि के आहरण एवं वितरण का कार्य नियमानुसार किया जायेगा।

(xvii) मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) की प्रगति की समीक्षा जनपद में प्रतिमाह आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक में की जाएगी तथा जनपद के ऐसे संस्थान, जो एन०ए०टी०एस० पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा रहे हैं अथवा पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थियों की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे कि नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

3. कृपया मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 127-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त , उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,मेरठ।

क्र. सं.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षक का नाम व मो0 न0	मण्डल	जनपद	नोडल अधिकारी का विवरण			
	डॉ0 ज्ञान प्रकाश वर्मा 9005148875			नाम	पदनाम	मोबाइल न0	ई-मेल आई डी
1		मेरठ मण्डल।	मेरठ	डॉ0 अंजू सिंह	प्राचार्या, शहीद मगल पाण्डेय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महा माधवपुरम मेरठ।	9837134202	smpggpgc@gmail.com
2			गाजियाबाद	डॉ0 संगीता	प्राचार्या, मा. काशीराम राजकीय महा0, सद्दीकनगर गाजियाबाद।	9891075280	info@mkrgc.in
3			गौतमबुद्ध नगर	डॉ.दिव्या नाथ	प्राचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा, गौ0नगर।	9891960386	principalgpgcnoida01@gmail.com
4			बागपत	डॉ0 प्रतीत	प्रभारी प्राचार्य, चौ0चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली,बागपत।	9412366073	ccsgdc.chhaprauli@gmail.com
5			बुलन्दशहर	डॉ0 विवेकानन्द डे	प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय जहांगीराबाद, बुलन्दशहर।	9639177677	govt.d.college@gmail.com
6			हापुड	डॉ जीनत जैदी	प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, बी0बी0नगर बुलन्दशहर।	9810267986	principal140@gmail.com
7		सहारनपुर मण्डल	मुजफ्फर नगर	डॉ0 बृजभूषण	प्राध्यापक, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांधला शामली।	7017425283	gwpgckandhla@gmail.com
8			शामली	डॉ0 योगेन्द्र कुमार	प्रभारी प्राचार्य, विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महा0 कैराना, शामली।	9528137466	govtcollegekairana@gmail.com
9			सहारनपुर	डॉ0 विपिन कुमार गिरी	प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, बेहट, सहारनपुर।	9837391728	rmmbehat2003@gmail.com